महत्वपूर्ण!

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दूरभाष 0135-2746934, 2741461, फैक्स- 2741630, 2741462 ई-मेल - pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या- P.O/323 देहरादून, दिनांक, 05 अक्टूबर, 2020।

आदेश

वन विभाग के कार्मिकों द्वारा प्रायः लोगों से सूचना मिलने पर वन्यजीवों को रिहायशी क्षेत्रों से 'रैस्क्यू' किया जाता है। **त्वरित अनुक्रिया दलों** (Quick Response Teams) और विभाग के कतिपय अन्य 'फील्ड' कार्मिकों द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है! ऐसे मामलों में वन्यजीवों को 'रैस्क्यू' करने का उद्देश्य मात्र एक ही होता है कि उन्हें आबादी से हटाकर उनके **प्राकृतिक वास** (Natural Habitat) में छोड़ दिया जाये। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण भी है! इससे निःसंदेह आम जनता को राहत मिलती है और विभाग की छवि भी आम जनता में अच्छी बनती है! **इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाये कि 'रैस्क्यू' किये गये किसी भी वन्यजीव को न तो चिड़ियाघरों में रखा जाये और न ही चिड़ियाघर के किसी जीव के आहार के रूप में उपलब्ध कराया जाये!**

'रैस्क्यू' के मामलों में जनता के विश्वास का भी प्रश्न रहता है क्योंकि जनता यह समझती है कि विभाग 'रैस्क्यू' किये गये वन्यजीव को उनके प्राकृतिक वास में मुक्त कर देगा।

अतः 'रैस्क्यू' की भावना के अनुसार ही प्रकरण में उपरोक्तानुसार ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये!

05/X/2020

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या P.O/323 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. विभागीय 'वैबसाईट'।

05/X/2020

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।